

संख्या-----/2005  
अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसकी धारा 19 के अनुरूप माननीय मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित पदाधिकारियों को जन सूचना पदाधिकारी, सहायक जन सूचना पदाधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकार नामित करते हैं-

जन प्राधिकार	अपीलीय प्राधिकार	जन सूचना पदाधिकारी	सहायक जन सूचना पदाधिकारी
--------------	------------------	--------------------	--------------------------

उच्च न्यायालय,	निवंधक (प्रशासन)	संयुक्त निवंधक (न्या०)	सहायक निवंधक (न्या०)
----------------	------------------	------------------------	----------------------

जिला न्यायालय सिविल	जिला न्यायाधीश	अवर न्यायाधीश-१	प्रभारी न्यायाधीश
------------------------	----------------	-----------------	-------------------

जिला न्यायालय आपराधिक	सत्र न्यायाधीश	मु०न्या०दण्डा०	प्रभारी न्यायाधीश
--------------------------	----------------	----------------	-------------------

फैमली कोर्ट	प्रधान न्यायाधीश, फैमली कोर्ट	निवंधक, व्यवहार न्यायालय	पेशकार
-------------	----------------------------------	-----------------------------	--------

किशोर अपराध न्यायालय	जिला न्यायाधीय अपीलीय न्यायालय	प्रधान सदस्य किशोर अपराध न्यायालय	पेशकार
-------------------------	-----------------------------------	---	--------

लेवर कोर्ट	अद्यक्ष, औद्यौगिक न्यायालय	वरिष्ठ न्यायाधीश लेवर कोर्ट/ न्यायाधीश, लेवर कोर्ट	निवंधक / त्रिपिक
------------	-------------------------------	--	------------------

औद्यौगिक न्यायालय	अद्यक्ष, औद्यौगिक न्यायालय	सदस्य, औद्यौगिक न्यायालय	निवंधक, व्यवहार न्यायालय
-------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

उच्च न्यायालय, पटना-800001 तिथि, अप्रृष्ट, ---2005	(मधुसूदन सिंह) महानिवंधक
--	-----------------------------